


RIGHTS * PROTECTION * JUSTICE

जय हिन्द! पशु अधिकारों की रक्षा करना हमारा प्रथम उद्देश्य है। जय हिन्द!





किसी भी जानवर को डंडे से मारना या पीटना, उसे उसकी जगह से हटाना या भगाना, प्रताड़ित करना अथवा जान से मारना ऐसा कोई भी काम करना जिससे उसे कष्ट या पीड़ा पहुँचे- पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11 (PCA Act 1960 Section 11) एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 429 (IPC 429) के तहत एक दण्डनीय अपराध है। ऐसा करने पर आपको 5 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों लग सकता है।

संपर्क करें

www.animalcrimecontrol.com

C



24x7 EMERGENCY HELPLINE CONTACT TO JOIN US +91- 9911551531 WWW.ANIMALCRIMECONTROL.COM/ORG

FOR ANIMAL WELFARE PURPOSE ONLY

- पशुओं के विशेष रूप से घोड़ों, बैलों, गधों आदि के गाड़ियों में या सामग्री ढोने के लिए अधिक इस्तेमाल को रोकना। पशुओं की अवैध विक्री-खरीद को हतोत्साहित करना।
- जानवारों को अवैध रूप से बंदी बनाकर रखने और दोषियों को पकड़ने के लिए।
- घायल पशुओं को प्राथमिक उपचार मुहैया कराना और उन्हें अस्पताल पहुंचाना।
- जानवरों पर अत्याचार करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करना।
- समाज में जानवरों के प्रति संवेदशीलता जगाना।
- पशु कल्याण के लिए काम करना और उनके अधिकारों की रक्षा करना।
- बेसहारा पशुओं को गोद लेने के लिए अधिक से अधिक लोगों की प्रोत्साहित करना।
- लोगों को जानवरों की देखभाल करने और मानवीय व्यवहार करने के लिए प्रेरित करना।
- जरूरतमंद जानवरों को भोजन/चारा उपलब्ध कराना और उनकी समस्याओं का निदान करना।
- पशु देखभाल श्रमिकों के कार्य में बाधा डालने वाले लोगों के खिलाफ उचित कार्यवाही करना।




- · Working for animal welfare and protecting their rights.
- To take legal action against those who torture animals.
- · To awaken the sensitivity towards animals in the society.
- Encouraging more and more people to adopt destitute animals.
- . Wether the month to take once of entered and belong however
- montaining people to take date of animals and denote harrany.
- Providing first and to injured animals and transporting them to the hospital
- Providing food/fodder to the needy animals and attending to their problems
- To take appropriate action against people obstructing animals care workers
- Prohibiting overburdening of animals especially Horses, Oxen, Donkeys etc. used in carls or for carrying material. Discouraging illegal sale-purchase of animals.

जय हिन्द! पशु अधिकारों की रक्षा करना हमारा प्रथम उद्देश्य है। जय हिन्द!









किसी भी जानवर को

पत्थर/लात/डण्डे से आरंबा-पीटंबा

उसे उसकी जगह से हटाना या भगाना

प्रताड़ित करना अथवा जान से मारना
ऐसा कोई भी काम करना जिससे उसे

कष्ट या पीड़ा पहुँचे

पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11 (PCA Act 1960 Section 11) एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 429 (IPC 429 के तहत एक दण्डनीय अपराध है। ऐसा करने पर पर आपको 5 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों लग सकता है.